न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 03 / 2006 / प्रा.पत्र 14(4)

दिनेश कुमार पुत्र कैलाश चन्द जाति ब्राहम्ण निवासी छाजा की नांगल, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, नीमकाथाना
2. सरपंच ग्राम पंचायत छाजा की नांगल

अप्रार्थीगण

उपस्थितः—

1. श्री राधेश्याम बिंयाला अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री लक्ष्मण सिंह सुण्डा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 14(4)
माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 20.03.2006 द्वारा रिमाण्ड

निर्णय

दिनांकः 07 नवम्बर, 2017

1. यह पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 20.03.2006 से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई है। प्रा. पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है तहसीलदार नीमकाथाना प्रार्थी दिनेश कुमार को ग्राम छाजा की नांगल में भूमि आवंटन सलाहाकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना द्वारा आराजी खसरा नम्बर 294, 295, 337 कुल रकबा 1.13 है. भूमि का आवंटन दिनांक 22.06.1999 को किया गया था, को निरस्त करने का एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया। जिस पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 23.07.2001 को आदेश पारित कर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) वास्ते भूमि आवंटन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बाबत खसरा नम्बर 294, 295, 337 कुल रकबा 1.13 है. दिनांक 22.06.1999 को स्वीकार कर आवंटन आदेश निरस्त किया गया। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर के यहां दायर किये जाने पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 11.10.2004 को अपील अपीलांट खारिज की जाकर न्यायालय जिला कलक्टर सीकर का आदेश

दिनांक 23.07.2001 को यथावत रखा गया है। प्रार्थी उक्त निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल में अपील किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आदेश पारित किया है कि ''

(a) It has been alleged that the allotte was serving in the Air Force at the time allotment but this fact has not properly been examined by the Tehsildar or the Sub-Divisional Officer and this remains uncertain. It is agreed that in the service of Air force at the time of allotment then his prioority does not supersede the priorities of others but in case he was an ex-defence personnel then the metter becomes different and his case may need sympathetic consideration on merits and if it is found that the allottee was in active service at that time then he had no bona fide claim as he was adeequately earning his livelihood and the other landless persons and bona fide agriculturists had a much better claim than this allottee.

(b) it has been argued that before cancellation of the allotment proper oppotunity of examination of the matter was not given by learned Distt. Collector because the file of the allotment comittee was not called and as such proper facts could not come before him and there was no proper appreciaton of facts. From the bare perusal if the record, there is some substance in this argument and it can be accepted and there is need for proper examination if the matter on the basis of original record.

(c) It has to be ascertained whether the land is gair-mumkin or not. If the land allotted or the part is gair-mumkin then Collector would be free to cancel that partof allotment.

In view of the discussions above, It is found proper that this matter is remanded back to learned Distt. Collector, Sikar with the direction to examine the matter afresh as per the rules and pass an appropriate order. As such earlier orders of learned Settelment Officer-cum-Revenue Appellate Authority, Sikar dated 11-10-2004 and that of learned Distt. Collector, Sikar dated 23-07-2001 are set aside.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलांट की ओर से वकील श्री राधेश्याम बिंयाला एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री लक्ष्मण सिंह सुण्डा उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी के योग्य अभिभाषक का कथन है कि भूमि आवंटन सलाहाकार समिति के निर्णय दिनांक 22.06.1999 को किया गया है। उस समय प्रार्थी वायु सेना में कार्यरत था अथवा सेवा निवृत्त हो चुका था, का कोई प्रमाण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है तथा न्यायालय द्वारा बिना अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किये और उसका अवलोकन किये अपना निर्णय पारित किया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि की किस्म केवल गैर–मुमकिन अंकित कर आवंटन आदेश जारी किया है। जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटित भूमि आवंटन योग्य थी अथवा नहीं। अतः तहसीलदार नीमकाथाना द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) दिनांक 19.09.2000 निरस्त फरमाया जाकर आवंटन आदेश यथावत रखा गया।

5. अप्रार्थी के योग्य अभिभाषक का मुख्य कथन था कि आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 22.06.1999 को दिनेश कुमार पुत्र कैलाश चन्द शर्मा निवासी छाजा की नांगल वायु सेना में कार्यरत था। जिसकी पुष्टि कमाडिंग वैलफेयर ऑफिसर के पत्र दिनांक 08.06.1999 से होती है। आवंटन के समय भूमि खसरा नम्बर 294 एवं 337 गैर मुमकिन पाल एवं खसरा नम्बर 295 बंजड़ अव्वल दर्ज थी। गैर मुमकिन पाल भूमि किसी भी स्थिति में आवंटन योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 23.07.2001 यथावत रखा जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित नर्णय दिनांक 20.03.2006 की पालना में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर है किः–
   (1) अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में संलग्न प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर स्वयं द्वारा अंकित किया है कि उसका व्यवसाय वायु सैनिक है। जो पत्रावली पर उपलब्ध स्क्वाडन लीडर युनिट वैलफेयर ऑफिसर फॉर कमाण्डिग ऑफिसर नई दिल्ली के पत्र दिनांक 08.06.1999 से भी स्पष्ट होता है। बहस के दौरान प्रार्थी के अभिभाषक ने कोई ऐसे तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे प्रार्थी के वायु सैनिक नहीं होने की पुष्टि होती हो।
   (2) अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। पत्रावली में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत आंवटन खारिज करने के निम्न कारण अंकित किये

हैं:– (1) अधिसूचना जारी नहीं की गई। (2) पटवारी रिपोर्ट व हस्ताक्षर नहीं है। (3) पिता स्वास्थ्य केन्द्र में कम्पाउण्डर है एवं स्वयं वायु सेना में कार्यरत है। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट पर पटवारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।

(3) आवंटन के समय भूमि खसरा नम्बर 294 एवं 337 गैर मुमकिन पाल एवं खसरा नम्बर 295 बंजड़ अव्वल दर्ज थी। गैर मुमकिन पाल भूमि किसी भी स्थिति में आवंटन योग्य नहीं है।

7. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आवंटन सलाहाकर समिति (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना ने अप्रार्थी को भू आवंटन करने से पूर्व पटवारी हल्का से रिपोर्ट नही ली गई इसके अतिरिक्त अधीनस्थ भू आवंटन सलाहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना ने भू आवंटन करने से पूर्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 7(क) व (ख) की कोई पालना नही की गई। जिसके अनुसार (भूमिहीन कृषको से) आवंटन हेतु आवेदन आमन्त्रित करते हुए प्रारूप 2 में एक अधिसूचना जारी करना होता है, जिसकी अवधि 15 दिन की होती है लेकिन राजस्व सरकार ने इस आवंटन हेतु इस अवधि को घटाकर 7 दिन की कर दी थी जिसकी भी कोई अनुपालना नही की गई है। अधिसूचना जारी भी हुई है तो अधिसूचना का साया करने, उसका स्थान व किस व्यक्ति के सामने चस्पा किया गया है, का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है। इसकी कोई रिपोर्ट अधिसूचना की पुस्त पर नहीं है।

8. आवंटित भूमि के बारे में भी समुचित जॉच नही की गई। प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि का भी आवंटन हेतु प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त आवंटी के सम्बन्ध में भी कोई जॉच की गई कि आवंटी भूमिहीन है अथवा नही? आवंटित व्यक्ति सरकारी सेवा में है तथा तत्समय वायुसेना में कार्यरत था।

9. इस प्रकार आवंटन नियमों की समुचित पालना नहीं की गई है। अतः भू आंवटन सहालहकार समिति (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 22.06.1999 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 04.08.2009 खारिज किया जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक : 07 नवम्बर, 2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official